न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 20.7.2023..... को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

-: निर्णय :-

[illegible] वादी ने [illegible] [illegible] [illegible] में
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 23 बीघा व [illegible] रकबा 3 बिस्वा [illegible] ग्राम [illegible]
[illegible] खाता नम्बर [illegible] रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा [illegible]
[illegible] खतौनी खाता नम्बर [illegible]
[illegible] नम्बर [illegible] रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा है, में से अन्य
[illegible] नम्बर [illegible] रकबा 2 बीघा रकबा की खातेदारी [illegible]
[illegible] अधिनियम, [illegible] द्वारा [illegible]
[illegible] पुत्री पुत्र श्री नन्दू के नाम दर्ज कर दिया गया व खातेदारी [illegible] प्रदान कर
[illegible] के पिता/दादा पुत्री पुत्र श्री नन्दू के नाम दर्ज व

[illegible]

जूर हो गया। वादीगण के पिता/दादा मुन्शी पुत्र श्री गन्दू का नाम बतौर खातेदार काश्तकार का अमल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कर दिया गया। वादीगण के पिता/दादा मुन्शी पुत्र श्री गन्दू अपने जीवनकाल में काबिज व दाखिल रहा है वादीगण के पिता/दादा मुन्शी पुत्र श्री गन्दू का देहान्त हो गया है। उनके मरने के बाद हम वादीगण उसके विधिक वारिस आराजी पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है तथा मौके पर मिन वादीगण के पिता/दादा मुन्शी पुत्र श्री गन्दू से विरासत से मिली आराजी पर वास्तविक कब्जा है। हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा रकबा सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह को आवंटित कर पट्टा दिया गया था परन्तु सतेन्द्र पुत्र श्री फूलसिंह के नामान्तकरण संख्या 330 में पटवारी हल्का की गलती से रकबा 23 बीघा 03 बिस्वा रकबा दर्ज कर दिया। जिस कारण से हम वादीगण के पिता/दादा श्री मुंशी पुत्र गब्दू के नामान्तकरण संख्या 452 का अमल राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया। तत्पश्चात सतेन्द्र पुत्र श्री फूलसिंह द्वारा अपने नामान्तकरण संख्या 330 की अपील माननीय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय अलवर के आदेश से सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह के नामान्तकरण संख्या 330 में हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा शुद्व कर सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह के नाम 1 बीघा 5 बिस्वा का दर्ज कर दिया गया परन्तु मिन वादीगण के पिता/दादा मुन्शी पुत्र श्री गन्दू का अंकन प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा बहाल नहीं किया गया है तथा उक्त आराजी के गलत रूप से चार नम्बर हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है0 व 486/692 रकबा 0.25 है0, 486/697 रकबा 0.40 है0, 486/709 रकबा 0.40 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.05 है0 दर्ज कर दिये। जबकि उक्त भूमि में गलत रूप से अंकन गैरखातेदारान वगे. तीस घर दर्ज कर दिया। जो अंकन उपरोक्त अनुसार गलत दर्ज चला आ रहा है। जो खिलाफ मौका, खिलाफ रिकार्ड है, जो मिन वादी के हकूकों के खिलाफ आरम्भ से ही बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है। जिसे मिन वादी इसी कदर बातिल वो बेअसर करार दिलाकर विवादित आराजी के 2 बीघा के खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है तथा गलत को दुरूस्त कराकर विधि विरूद्व तरीके से पैमुद किये गये बंटे नम्बरो को हटवाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा यानि 5.84 है0 में से 1 बीघा 09 बिस्वा का खातेदार काश्तकार जरिये पट्टा संख्या 1779 व नामान्तकरण संख्या 452 के अनुसार इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली की गई। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र मनोहरलाल पुत्र गिरधारी जाति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर, हरिकिशन पुत्र मुंशी जाति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किये गये।

वादी अपनी दौराने अपनी बहस वाद के तथ्यों को दौहराया गया है। वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

यह कि प्रकरण में निम्न तनकीयात कामय की गई।

तनकी नम्बर 1 – आया वादी मुताबिक सनद पट्टा व नामान्तकरण, आराजी का खातेदार है, जो इसी कदर स्वयं को खातेदार घोषित कराकर अपने नाम का अंकन कराने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

— जिम्मे वादी

की नम्बर 2 – आया वादी, प्रतिवादी को जरिये डिकी हु0ई0 दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

— जिम्मे वादी

की नम्बर 3 – आया वादी का वाद काबिले खारिज है।

— जिम्मे प्रतिवादी

की नम्बर 4 – अनुतोष।

यह कि वादीगण को जरिये सनद पट्टा भूमि आवंटित की जाकर नामान्तकरण संख्या मंजूर किया गया है। जिसका अमल भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कर दिया गया। परन्तु माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, के यहां दीगर इंतकाल संख्या 330 की अपील होने से व निर्णय होने से उपरोक्त राजस्व रिकार्ड से वादीगण के नाम का अंकन हटा दिया गया। नामान्तकरण संख्या 330 का कोई संबंध व सरोकार वादीगण की आराजी से नहीं है एवं ना ही माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के निर्णय से वादीगण का रकबा प्रभावित होता है परन्तु पटवारी हल्का की गलती से वादीगण का अंकन सहवन से हटा दिया गया। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में किसी प्रकार का विरोधाभाषी कथन वाद के विपरित में नहीं कहां अपितु वाद में जारी सनद पट्टा व राजस्व रिकार्ड की पुष्टि की है एवं यह अंकित किया है कि राजकीयहित प्रभावित नहीं है जिस कारण से वादी का वाद डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है। तनकी संख्या 1 पूर्णतया वादी के पक्ष में साबित है चूंकि प्रतिवादी राज्य सरकार है इसलिए तनकी संख्या 2 की बाबत कोई अनुतोष वादीगण को नहीं दिया जा सकता।

अतः वादी का वाद डिकी किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है0 व 486/692 रकबा 0.25 है0, 486/697 रकबा 0.40 है0, 486/709 रकबा 0.40 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में मुताबिक सनद पट्टा 1779 व नामान्तकरण संख्या 452 के अनुसार 2 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
437/2022	09-09-2022	20/07/2023

उनवान

1. हरीकिशन
2. हरलाल पुत्रान स्व0 श्री मुंशी
3. राजपाल
4. मुकेश
5. सुनील पुत्रान स्व. श्री मंगत पुत्र स्व. श्री मुंशी
6. मोहन
7. जयसिंह
8. राजाराम
9. रोहित कुमार पुत्रान श्री रामौतार पुत्र स्व. श्री मुंशी जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

——:: वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

स्थित

01. श्री कुलदीप आहूजा एडवोकेट (वादीगण)

-:: पर्चा डिक्री ::-

आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है0 व 486/692 रकबा 0.25 है0, 486/697 रकबा 0.40 486/709 रकबा 0.40 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील रा जिला अलवर (राजस्थान) में मुताबिक सनद पट्टा 1779 व नामान्तकरण संख्या 452 के अनुसार 2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०